सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 17 राँची, बुधवार 25 वैशाख, 1941 (श०)

15 मई, 2019 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 247-273

भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

पृष्ठ

भाग-4–झारखण्ड अधिनियम

भाग-5–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9- विज्ञापन ---

भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक-- ... ...

पूरक "अ" ... ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

01 अप्रैल, 2019

संख्या-01स्था०-04/18-943/वि०स० -- एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-250(1)के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष,झारखण्ड विधान सभा द्वारा नियम समिति का गठन वर्ष-2019-20 के लिए निम्न प्रकार से किया जाता है:-

1. अध्यक्ष,झारखण्ड विधान सभा,	स०वि०स०	सभापति
2. सभापति,लोक लेखा समिति,	स०वि०स०	सदस्य
3. सभापति,प्राक्कलन समिति,	स०वि०स०	सदस्य
4. सभापति,सरकारी उपक्रमो संबंधी समिति,	स०वि०स०	सदस्य
5. सभापति,सदाचार समिति,	स०वि०स०	सदस्य

अध्यक्ष,झारखण्ड विधान सभा इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे |

समिति का कार्यकाल चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा के कार्यकाल तक होगा |

अध्यक्ष,झारखण्ड विधान के आदेश से,

महेंद्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची |

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

01 अप्रैल, 2019

संख्या-01स्था०-04/18- 945 /वि०स० -- एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-245(1)के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष,झारखण्ड विधान सभा द्वारा विशेषाधिकार समिति का गठन वर्ष-2019-20 के लिए निम्न प्रकार से किया जाता है:-

1. अध्यक्ष,झारखण्ड विधान सभा,	स०वि०स०	सभापति
2. संसदीय कार्य मंत्री,झारखण्ड सरकार,	स०वि०स०	सदस्य
3. नेता प्रतिपक्ष,झारखण्ड विधान-सभा,	स०वि०स०	सदस्य
4. सभापति,आंतरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति,	स०वि०स०	सदस्य
5. सभापति,सरकारी आश्वासन समिति,	स०वि०स०	सदस्य

<u>विशेष आमंत्रित सदस्य</u>

1. सभापति,सदाचार समिति	स०वि०स०	सदस्य
2. सभापति,जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति	स०वि०स०	सदस्य

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे |

समिति का कार्यकाल चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा के कार्यकाल तक होगा |

अध्यक्ष,झारखण्ड विधान के आदेश से,

महेंद्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची |

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

01 अप्रैल, 2019

संख्या-01स्था०-04/18- 947 /वि०स० -- एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-253(1)एवं 223(1)के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष,झारखण्ड विधान सभा द्वारा प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण तथा अनागत प्राशन क्रियान्वयन समिति का गठन वर्ष-2019-20 के लिए निम्न प्रकार से किया जाता है:-

1. श्री अरूप चटर्जी,	स०वि०स०	सभापति
2. श्री ढुलु महतो,	स०वि०स०	सदस्य
3. श्री राजकुमार यादव,	स०वि०स०	सदस्य
4. श्री बिरंची नारायण,	स०वि०स०	सदस्य
5. श्री बादल,	स०वि०स०	सदस्य

श्री अरूप चटर्जी,स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे |

समिति का कार्यकाल चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा के कार्यकाल तक होगा |

अध्यक्ष,झारखण्ड विधान के आदेश से,

महेंद्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची |

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

01 अप्रैल, 2019

संख्या-01स्था०-04/18- 949 /वि०स० -- एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-264 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष,झारखण्ड विधान सभा द्वारा महिला बाल विकास समिति का गठन वर्ष-2019-20 के लिए निम्न प्रकार से किया जाता है:-

1. श्रीमती जोबा मांझी,	स०वि०स०	सभापति
2. श्रीमती गीता कोड़ा,	स०वि०स०	सदस्य
3. श्रीमती सीता सोरेन,	स०वि०स०	सदस्य
4. डॉ० जीतू चरण राम,	स०वि०स०	सदस्य
5. श्रीमती बबीता देवी,	स०वि०स०	सदस्य

श्रीमती जोबा मांझी,स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे | समिति का कार्यकाल चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा के कार्यकाल तक होगा |

अध्यक्ष,झारखण्ड विधान के आदेश से,

महेंद्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची |

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

01 अप्रैल, 2019

संख्या-01स्था०-04/18- 951 /वि०स० -- एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-239 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष,झारखण्ड विधान सभा द्वारा प्राक्कलन समिति का गठन वर्ष-2019-20 के लिए निम्न प्रकार से किया जाता है:-

1. श्री योगेश्वर महतो,	स०वि०स०	सभापति
2. श्री प्रकाश राम,	स०वि०स०	सदस्य
3. श्री अनन्त कुमार ओझा,	स०वि०स०	सदस्य
4. श्री राज सिन्हा,	स०वि०स०	सदस्य
5. श्रीमती निर्मला देवी,	स०वि०स०	सदस्य

श्री योगेश्वर महतो, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे | समिति का कार्यकाल चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा के कार्यकाल तक होगा |

अध्यक्ष,झारखण्ड विधान के आदेश से,

महेंद्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची |

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

01 अप्रैल, 2019

संख्या-01स्था०-04/18- 959 /वि०स० -- एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-223(1) एवं 252 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष,झारखण्ड विधान सभा द्वारा पुस्तकालय विकास युवा कल्याण, संस्कृति एवं पर्यटन विकास समिति का गठन वर्ष-2019-20 के लिए निम्न प्रकार से किया जाता है:-

1. श्री भानु प्रताप शाही, स०वि०स० सभापति
2. श्री प्रकाश राम , स०वि०स० सदस्य
3. श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, स०वि०स० सदस्य
4. श्री गणेश गंझू, स०वि०स० सदस्य
5. श्री पौलुस सुरीन, स०वि०स० सदस्य

श्री भानु प्रताप शाही, स०वि०स०, इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे |

समिति का कार्यकाल चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा के कार्यकाल तक होगा |

अध्यक्ष,झारखण्ड विधान के आदेश से,

महेंद्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची |

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

01 अप्रैल, 2019

संख्या-01स्था०-04/18- 963 /वि०स० -- एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-257के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष,झारखण्ड विधान सभा द्वारा पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति का गठन वर्ष-2019-20 के लिए निम्न प्रकार से किया जाता है:-

1. श्री मनोज कुमार यादव,	स०वि०स०	सभापति
2. श्री जय प्रकाश भाई पटेल,	स०वि०स०	सदस्य
3. श्री सुखदेव भगत,	स०वि०स०	सदस्य
4. श्री शिव शंकर उराँव ,	स०वि०स०	सदस्य
5. श्री आलोक कुमार चौरसिया,	स०वि०स०	सदस्य

श्री मनोज कुमार यादव, स०वि०स०, इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे |

समिति का कार्यकाल चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा के कार्यकाल तक होगा |

अध्यक्ष,झारखण्ड विधान के आदेश से,

महेंद्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची |

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

01 अप्रैल, 2019

संख्या-01स्था०-04/18-971/वि०स०-- एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-223 (1)के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा आंतरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति का गठन वर्ष-2019-20 के लिए निम्न प्रकार से किया जाता है:-

1. श्री नवीन जयसवाल,	स०वि०स०	सभापति
2. श्री केदार हाजरा,	स०वि०स०	सदस्य
3. श्री चमरा लिण्डा,	स०वि०स०	सदस्य
4. श्री रामचन्द्र सहिस,	स०वि०स०	सदस्य
5. श्री साधु चरण महतो ,	स०वि०स०	सदस्य

श्री नवीनजयसवाल, स०वि०स०, स०वि०स०,इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे |

समिति का कार्यकाल चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा के कार्यकाल तक होगा |

अध्यक्ष,झारखण्ड विधान के आदेश से,

महेंद्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची |

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

01 अप्रैल, 2019

संख्या-01स्था०-04/18- 975 /वि०स०-- एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-231(1)के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष,झारखण्ड विधान सभा द्वारा प्रत्यायुक्त विधान समिति का गठन वर्ष-2019-20 के लिए निम्न प्रकार से किया जाता है:-

1.श्री राजकिशोर महतो,	स०वि०स०	सभापति
2.श्री फूलचन्द मण्डल,	स०वि०स०	सदस्य
3.श्री जगरनाथ महतो,	स०वि०स०	सदस्य
4.श्री नागेन्द्र महतो,	स०वि०स०	सदस्य
5. श्री संजीव सिंह,	स०वि०स०	सदस्य

श्री राजकिशोर महतो, स०वि०स०, इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे | समिति का कार्यकाल चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा के कार्यकाल तक होगा |

अध्यक्ष,झारखण्ड विधान के आदेश से,

महेंद्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची |

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

06 फ़रवरी, 2019 ई०।

संख्या-वि०स०वि०- 03/2019- 1173 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक-06.02.2019 को पुरःस्थापति हुआ था, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है, प्रकाशित करें।

महेंद्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची |

[वि०स०वि०-05/2019]

झारखण्ड अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य आयोग विधेयक, 2019

प्रस्तावना

झारखण्ड अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य आयोग के गठन एवं इससे सम्बन्धित तथा अनुषांगिक मामलों के उपबन्ध हेतु एक विधेयक;

क्योंकि, झारखण्ड अनुसूचित जनजाति के लिए एक आयोग का गठन और उससे सम्बन्धित तथा अनुषांगिक मामलों का उपबन्ध आवश्यक हो गया है,

भारत गणराज्य के 70वे वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-I

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ-**(1) यह अधिनियम ''झारखण्ड अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 2019'' कहा जा सकेगा।

   (2) इसका विस्तार सिर्फ झारखण्ड राज्य में होगा।

   (3) यह राजकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं

   इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित हो,

   (क) ''आयोग'' से तात्पर्य है, धारा-3 के अधीन गठित ''झारखण्ड अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य आयोग''

   (ख) ''सदस्य'' से तात्पर्य है आयोग का सदस्य और इसमें सम्मिलित है आयोग का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष।

   (ग) ''अनुसूचित जनजाति'' का वही अर्थ होगा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-342 के अधीन झारखण्ड राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

अध्याय-II

झारखण्ड अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य आयोग

3. झारखण्ड अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य आयोग का गठन,-

(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग एवं सौपें गये कृत्यों के निष्पादन हेतु यथाशीध्र एक निकाय गठित करेगी, जो झारखण्ड अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य आयोग के रूप में जाना जायेगा, जिसका मुख्यालय राँची होगा।

(2) आयोग के निम्नलिखित सदस्य होंगे, यथा:-

(क) अध्यक्ष, जो झारखण्ड के अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित मामलों का विशिष्ट ज्ञान रखते हों, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा।

(ख) उपाध्यक्ष, जो झारखण्ड के अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों का विशिष्ट ज्ञान रखते हों, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा।

(ग) 3 (तीन) , वैसे व्यक्ति जिन्हें झारखण्ड अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित मामलों में विशेष ज्ञान हो, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा।

4. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की कार्यावधि एवं सेवा की शर्तें,-

(1) राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष से अनधिक अवधि तक अपने पद पर बने रहेगें, जो राज्य सरकार द्वारा विहित होगा।

(2) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य किसी भी समय स्वलिखित पत्र राज्य सरकार को प्रेषित कर अपने पद का त्याग कर सकता है।

(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को कार्यभार से हटा सकती है, यदि वह व्यक्ति,

(क) उन्मोचित दिवालिया हो गया हो, या

(ख) किसी ऐसे अपराध, जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, के लिए दोषी करार दिया गया हो और कारावास की सजा सुनाई गई हो, या

(ग) जो विक्षिप्त हो जाता हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा वैसा घोषित किया जा चुका हो, या

(घ) जो कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है, या

(ड.) जो आयोग से अवकाश की स्वीकृति प्राप्त किये बिना आयोग की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहा है, या

(च) जिसने राज्य की राय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य की प्रतिष्ठा का उस रूप में दुरूपयोग किया हो कि उसका कार्यालय में बना रहना अनुसूचित जनजाति के हित के लिए घातक हो,

परन्तु यह कि कोई भी व्यक्ति इस खण्ड के अधीन तब तक हटाया नहीं जायेगा जब तक उसे इस मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई रिक्ति नये मनोनयन से भरी जायेगी।

(5) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को भुगतेय नियत राशि/एकमुश्त राशि, भत्ते एवं सेवा की अन्य बन्धेज एवं शर्तें वही होंगी, जो विहित की जाय।

5. आयोग के पदाधिकारी/कर्मचारी:-

(1) सरकार द्वारा मनोनीत कोई भी पदाधिकारी जो उप सचिव से नीचे स्तर का न हो, आयोग का पदेन सदस्य सचिव होगा।

(2) राज्य सरकार आयोग के लिए उतने पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध करायेगा जो आयोग के सम्यक् क्रियाकलाप के लिए आवश्यक हो,

(3) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को भुगतेय नियत राशि/एकमुश्त राशि एवं भत्ते और आयोग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते, का भुगतान धारा-11 में निर्दिष्ट अनुदान से किया जायेगा।

6. रिक्तियाँ आदि का आयोग की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करना- आयोग का कोई कृत्य या कार्यवाही मात्र इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में सदस्य का कोई पद रिक्त है या आयोग का गठन त्रुटिपूर्ण है।

7. आयोग द्वारा विनियमित की जानेवाली प्रक्रिया-(1) आयोग की बैठक आवश्यकतानुसार सामान्यतया राँची में होगी या वैसे स्थान पर होगी जो अध्यक्ष उचित समझे।

(2) आयोग को यह शक्ति होगी कि अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करे।

(3) आयोग के सभी आदेश तथा निर्णय सदस्य सचिव द्वारा इसके लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी दूसरे पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किये जायेंगे।

अध्याय-III

आयोग का कृत्य एवं शक्तियाँ

8. आयोग का कृत्य:-

आयोग का कृत्य एवं शक्तियाँ निम्नलिखित होंगे,-

(क) भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त विभिन्न रक्षोपायों या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा यथा उपबन्धित सरकार के किसी आदेश द्वारा झारखण्ड राज्य झारखण्ड अनुसूचित जनजाति के कल्याण एवं संरक्षण के कार्यकलापों का अनुसंधान एवं परीक्षण, और,

(ख) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति के अधिकार एवं संरक्षण की वंचना से सबंधित शिकायतों की जाँच तथा मामलों को समुचित प्राधिकारी तक पहुँचाना,

(ग) झारखण्ड में अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथा समय कार्यान्वयन की निगरानी को तथा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में जो ऐसे कार्यक्रमों के लिए जिम्मेवार हैं, सुधार हेतु सुझाव दें।

(घ) लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संबंध में सलाह-संबंधी सुझाव।

(ड.) झारखण्ड में अनुसूचित जनजातियों के सामजिक, आर्थिक विकास के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन में सलाह देना और राज्य में उनके विकास की गति का मूल्यांकन,

(च) संरक्षणों के प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुसूचित जनजाति के कल्याण, सामाजिक-आर्थिक विकास एवं आयोग राज्य सरकार को वर्षानुवर्ष और वैसे समय में, जब आयोग उचित समझे, वैसे उपायों की अनुशंसा करना जो राज्य सरकार द्वारा किया जा सके,

(छ) अनुसूचित जनजाति के संरक्षण, कल्याण, विकास एवं प्रगति के संबंध में वैसे सभी कार्यों का सम्पादन, जो विहित हो,

(ज) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी, जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपी जाएगी।

परन्तु यदि इस धारा के अन्तर्गत कोई विषय भारत का संविधान की धारा-342 के अधीन स्थापित अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग द्वारा निष्पादित हो रहा हो, अनुसूचित जनजाति राज्य आयोग का उस मामले में क्षेत्राधिकार समाप्त हो जायेगा।

(झ) राज्य सरकार, आयोग को वैसा निर्देश दे सकती है जो राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक या उचित समझता हो और आयोग वैसे निर्देशों को मानने के लिए बाध्य होगी।

9. प्रतिवेदन का पुरःस्थापन- राज्य सरकार धारा-8 की उपधारा (च) के अन्तर्गत उन प्रतिवेदनों के संबंध में राज्य विधानसभा में की गई कार्रवाई या कार्रवाई के प्रस्ताव और अनुशंसाओं को स्वीकार नहीं करने की स्थिति में, यदि कोई हो तो कारणों की व्याख्या करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत करेगा।

10. आयोग की शक्तियाँ- आयोग को धारा-8 के अन्तर्गत किसी मामले के जाँच के दौरान वही शक्तियाँ प्राप्त होगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 की धारा 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित है, अर्थात् (क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसकी जाँच करना,

(ख) किसी अभिलेख की खोज और उसके प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा करना,

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना,

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना,

(ड.) गवाहों एवं दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना, और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

परन्तु उपधारा (क) के अधीन उस व्यक्ति को जो, राज्य सरकार के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव या विभागाध्यक्ष के रूप में राज्य सरकार के मामलों में नियोजित हो, को सम्मन नहीं किया जा सकता है या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता परन्तु उसके द्वारा सम्मन का अनुपालन तब हुआ समझा जायेगा जब वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बदले उपधारा (क) के अधीन उप सचिव स्तर से अन्यून या जैसा भी हो उसके समतुल्य का पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से आयोग में उपस्थित होना कारित करे।

परन्तु यह भी कि, उपधारा (क) के अधीन जारी सम्मन में जिस व्यक्ति को सम्मन किया जाय उसमें सम्मन के उद्देश्य का स्पष्ट उल्लेख हो और जब साक्ष्य प्रस्तुत करने के सिवाय, किसी व्यक्ति को किसी अभिलेख को प्रस्तुत करने के लिये सम्मन किया जाय तब यदि वह व्यक्ति सशरीर उपस्थित होने के बदले यदि वैसा अभिलेख प्रस्तुत कराता है तब व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का सम्मन अनुपालित समझा जायेगा।

अध्याय-IV

वित्त, लेखा एवं अंकेक्षण

11. राज्य सरकार द्वारा अनुदान-

(1) इस मामले में राज्य विधान सभा द्वारा अपेक्षित विनियोग के बाद आयोग को राज्य सरकार अनुदान के रूप में वैसी राशि का भुगतान करेगा जो राज्य सरकार उचित समझे और इस अधिनियम के उपयोग के लिए प्रयोग किया जा सके।

(2) आयोग अनुदान की राशि में से उतनी राशि खर्च कर सकेगा जो इस अधिनियम के कार्यों के सम्पादन के लिए आवश्यक समझा जाय और ऐसी राशि उपधारा (1) के अधीन अनुदान में से खर्च के रूप में भूगतेय होगा।

12. लेखा एवं अंकेक्षण-

(1) आयोग, आय एवं व्यय का लेखा उस नियम के तहत रखेगा जो इस निमित्त विहित किया जाय।

(2) आयोग, उस रूप में लेखे का वार्षिक वितरण तैयार करेगा जो विहित किया जाय।

(3) आयोग, के लेखा को उस अंकेक्षक द्वारा वार्षिक रूप से अंकेक्षित किया जायेगा जिसे राज्य सरकार नियुक्त करे।

(4) अंकेक्षक, अंकेक्षण के उद्देश्य से आयोग के सभी लेखा एवं अन्य अभिलेख की मांग कर सकता है।

(5) आयोग, अंकेक्षण के लिए उतनी शुल्क की अदायगी अनुदान की राशि से करेगा जो विहित किया जाय।

(6) आयोग, अंकेक्षक के प्रतिवेदन की प्राप्ति के तुरन्त बाद लेखे के वार्षिक विवरण की एक प्रति अंकेक्षक के प्रतिवेदन की प्रति के साथ राज्य सरकार को भेजेगा और इसे लेखा के वार्षिक विवरण में उस रूप में प्रकाशित करेगा जो विहित किया जाय।

(7) राज्य सरकार ऐसे प्रतिवेदन की प्राप्ति के बाद विधान सभा में पुरःस्थापित करेगा।

(8) राज्य सरकार अंकेक्षक के प्रतिवदेन के अवलोकन के पश्चात् वैसा निदेश आयोग को देगा जो उचित समझे और आयोग वैसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

अध्याय-V
विविध

13. आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य एवं समस्त कर्मचारी लोक सेवक माने जायेंगे- भारतीय दंड संहिता (केन्द्रीय अधिनियम, 1860 का 45) की धारा 21 के अनुसार आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य एवं समस्त कर्मचारी लोक सेवक समझे जायेंगे।

14. नियमावली बनाने की शक्ति-

(1) राज्य सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना के पूर्व प्रकाशन द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नियमावली बना सकेगी।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली निम्नलिखित सभी या किसी मामलों के संबध में उपबंध कर सकेगी, यथा,-

(क) धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को भूगतेय वेतन एवं भत्ते और सेवा की अन्य बंधेज एवं शर्तें।

(ख) धारा-12 की उपधारा (2) के अंतर्गत लेखे का वार्षिक विवरण तैयार करने हेतु प्रपत्र। (ग) ऐसा कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के तुरंत बाद राज्य विघान-सभा के समक्ष रखा जायेगा, जब वह कुल चौदह दिनों के लिए सत्र में हो, जो एक ही सत्र में या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में पड़ सकते हैं। जिस सत्र में उसे प्रस्तुत किया जाय उस सत्र में या उसके बाद वाले सत्र में विधान-सभा, नियम में जो रूपान्तरण करने को सहमत हो अथवा यदि इस बात पर सहमत हो कि नियम बनाया ही नहीं जाना चाहिए तो उसके बाद यह नियम यथास्थिति, या तो रूपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, किन्तु नियम के ऐसे रूपान्तरण या बाधित होने से उस नियम के अधीन पहले किये गये किसी काम की मान्यता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

15. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति:- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार राजकीय गजट में प्रकाशित अपने आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों के निराकरण के लिए राज्य सरकार को आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

परन्तु यह कि, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि से दो वर्षों के उपरान्त ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश बनाये जाने के तुरंत बाद राज्य विधान-सभा के समक्ष रखा जायगा।

16. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव:- तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि तथा नियमों, निर्गत किसी आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, स्कीम, नियम या संकल्प में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे।

परन्तु, यह कि तत्समय प्रवृत कोई अन्य विधि या नियम इस अधिनियम के पूर्व बने, निर्गत या पारित किया गया कोई आदेश या जारी किए गए अधिसूचना, परिपत्र, स्कीम या संकल्प जहां तक वे इस अधिनियम से असंगत नहीं हो, प्रभावी बने रहेगें तथा इस अधिनियम के अधीन निर्गत या पारित समझे जायेंगे।

17. निरसन या व्यवृत्ति:-

(1) एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत ऐसे सभी अनुदेश/संकल्प/परिपत्र आदि जो इस अधिनियम से असंगत हो, इस हद तक निरसित समझे जायेंगे।

(2) इस अधिनियम के आरंभ के पूर्व किसी आदेश, संकल्प, परिपत्र के अधीन किया गया कुछ भी अथवा की गई कार्रवाई इस अधिनिमय के अधीन किया गया, की गई समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के अधीन वे लागू थे ।

उद्देश्य एवं हेतु का कथन

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 की धारा 10 में विनिश्चित उद्देश्य के प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुसूचित जनजाति के सक्रिय भागीदारी के माध्यम से उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति को समुन्नत करने, राज्य में उनके विकास की गति के मूल्यांकन के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए एक स्थायी आयोग गठित करने हेतु एक अधिनियम का विधान किया जाय, जो -

(क) भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त विभिन्न रक्षोपायों या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा यथा उपबन्धित सरकार के किसी आदेश द्वारा झारखण्ड राज्य झारखण्ड अनुसूचित जनजाति के कल्याण एवं संरक्षण के कार्यकलापों का अनुसंधान एवं परीक्षण, और,

(ख) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति के अधिकार एवं संरक्षण की वंचना से सबंधित शिकायतों की जाँच तथा मामलों को समुचित प्राधिकारी तक पहुँचाना,

(ग) झारखण्ड में अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथा समय कार्यान्वयन की निगरानी को तथा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में जो ऐसे कार्यक्रमों के लिए जिम्मेवार हैं, सुधार हेतु सुझाव दें।

(घ) लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संबंध में सलाह-संबंधी सुक्षाव।

(ड.) झारखण्ड में अनुसूचित जनजातियों के सामजिक, आर्थिक विकास के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन में सलाह देना और राज्य में उनके विकास की गति का मूल्यांकन,

(च) संरक्षणों के प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुसूचित जनजाति के कल्याण, सामाजिक-आर्थिक विकास एवं आयोग राज्य सरकार को वर्षानुवर्ष और वैसे समय में, जब आयोग उचित समझे, वैसे उपायों की अनुशंसा करना जो राज्य सरकार द्वारा किया जा सके,

(छ) अनुसूचित जनजाति के संरक्षण, कल्याण, विकास एवं प्रगति के संबंध में वैसे सभी कार्यों का सम्पादन, जो विहित हो,

झारखण्ड अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य आयोग अधिनियम-2019 में सन्निहित है:-

(1) राज्य आयोग का गठन एवं कार्यकाल और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा शर्त,

(2) आयोग की शक्तियाँ एवं कृत्य,

(3) आयोग के लेखे का रखरखाव एवं वैसे लेखे का लेखा परीक्षण,

इस अधिनियम में अन्य अनुषांगिक एवं परिणामी प्रावधान भी सम्मिलित है।

डॉ. लुईस मरांडी,
भार साधक सदस्य

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

06 फ़रवरी, 2019 ई०।

संख्या-वि०स०वि०- 06/2019- 1179 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक-06.02.2019 को पुरःस्थापति हुआ था, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है, प्रकाशित करें।

महेंद्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची |

[वि०स०वि०-04/2019]

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 में संषोधन हेतु विधेयक।

भारत गणतंत्र के 70वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो: -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(1) यह अधिनियम 'झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019' कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह अधिसूचना निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 की धारा 90-ख (2) में संशोधन

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 की धारा 90-ख (2) को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है:-

''इस प्रकार संग्रहीत बाजार फीस राज्य निधि में जमा की जायेगी और नगर विकास एवं आवास विभाग प्राधिकार क्षेत्रान्तर्गत नागरीय सुविधाओं, अवसंरचना, विपणन सुविधायें और स्थापना में आवश्यकतानुसार राशि प्रदान करने हेतु संबंधित प्राधिकार को प्रतिवर्ष यथोचित वितरण करेगी।''

उद्देश्य एवं हेतु

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 की धारा-90-ख (2) के प्रावधान के तहत प्राधिकार के द्वारा संग्रहित बाजार शुल्क की राशि नागरिक सुविधाओं, अवसंरचना और विपणन सुविधाएँ में व्यय की जानी है।

प्राधिकार की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण सैकड़ो अवमाननावाद माननीय उच्च न्यायालय में दायर है। साथ ही, प्राधिकार अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों का विगत् 40 माह का वेतन बकाया चल रहा है।

अतएव, झमाडा को वेतनादि मद में अनुदान दिये जाने हेतु झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम की धारा-90-ख-(2) में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है।

तदनुसार उपरोक्त अधिनियम में आवश्यक संशोधन का प्रावधान किया गया है, जिसे प्रख्यापित करना इस विधेयक का अभिष्ठ है।

चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह,
भार साधक-सदस्य।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

10 मई, 2019

संख्या-4/नि०सं०-12-135/2015 का. 3613-- श्रीमती किरण बोदरा, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला- खूँटी), सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, राँची को निम्नवत अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

(i)	दि०16.07.2018 से 11.01.2019 तक	-	मातृत्व अवकाश के रूप में वित्त विभाग के संकल्प सं०- 551 दिनांक 01.03.2007 तथा 907 दिनांक 01.07.2010 के तहत।
(ii)	दि० 12.01.2019 से 31.01.2019 तक	-	उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

13 मई, 2019

संख्या-4/नि० स०-12-30/2017-2023 (HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री रजनीश कुमार (द्वितीय बैच, गृह जिला- गोड्डा) की सेवा माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आदेश के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद (WP(PIL) No.-3594/2011, बुद्धदेव उरांव बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा अन्य याचिका) में अंतिम आदेश से प्रभावित होने की शर्त के साथ उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती हैः-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	Current Office Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	RAJNISH KUMAR- (20080400091)	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING DEPARTMENT (URBAN DEVELOPMENT)	RANCHI MUNICIPAL CORPORATION ,RANCHI Assistant Municipal Commissioner	01/09/2008	02/02/2019

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव
जीपीएफ संख्या:DNB/POL/169

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं PRAKHAR पिता PRABHAT KUMAR शपथ पत्र सं० 1, दिनांक 2 मार्च, 2019 के अनुसार PRAKHAR PARTHA के नाम से जाना जाऊँगा ।

PRAKHAR एवं PRAKHAR PARTHA दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF VILLAGE-- BERAIN,
P.S.– HATHOURI,
DIST.- MUZAFFARPUR,
STATE—BIHAR,

PERMANENT RESIDENT-- Qtr. No. 317 SECTOR-1/C, BOKARO STEEL CITY,
DIST.- BOKARO,
STATE—JHARKHAND,

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं YUDHISTHIR PRADAD POSOIT पिता PITAMBER HAZAM शपथ पत्र सं० 273, दिनांक 29 मई, 2018 के अनुसार YUDHISTHIR HAZAM के नाम से जाना जाऊँगा ।

YUDHISTHIR PRADAD POSOIT एवं YUDHISTHIR HAZAM दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

PRESENT RESIDENT-- SAIL TOWNSHIP, KIRIBURU,
DIST.- SINGHBHUM WEST,
STATE—JHARKHAND,

PERMANENT RESIDENT OF VILLAGE -- GOPIPUR,
P.O.– URKIA,
P.S.– MANOHARPUR,

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं ANNU PRASAD पति SRI DIWAKAR PRASAD शपथ पत्र सं० 2603, दिनांक 5 अप्रैल, 2019 के अनुसार ANNU RANI के नाम से जानी जाऊँगी ।

ANNU PRASAD एवं ANNU RANI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

PERMANENT RESIDENT-- Qr. No.- 159, J.BLOCK VASANT VIHAR,
GHATOTAND, RAMGARH,
P.O.& P.S.– GHATOTAND ,
DIST.- RAMGARH,
STATE—JHARKHAND,
PIN CODE- 825314.

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 17 -- 50 ।